न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 784/2024

अनवान : –

1. इमीलाल पुत्र दलुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर ।
2. भंवरलाल पुत्र दलुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. केसराराम पुत्र दलुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर ।
2. हंसराज पुत्र दलुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
3. अशोक कुमार पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. कालूराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. जगदीश पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
6. धर्मपाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
7. सुमन देवी पत्नी राजुराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर
8. सुलतान पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
9. बुधराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 20/8/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 35/33 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 13.4810 है0 भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादीगण 1 ता 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज है तथा खाता संख्या 113/101 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 13.4810 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 प्रत्येक का 1076/13481 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 प्रत्येक का 9177/26962 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 2152/13481 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 116/105 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 12.4000 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 60/54 के कुल खसरे 3 की 12.4000 है0 भूमि प्रतिवाद संख्या 9 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि में खसरा नं. 844 का रकबा खसरा न 837 को चला गया तथा खसरा नं. 837 का मूल रकबा खसरा नं. 840 को चला गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण की उपरोक्त भूमि जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में जिस अनुसार से दर्ज है जिसका खसरा व भू नक्शा की तरमीम सही नही होने के कारण से वादीगण को भारी परेशानी हो रही है इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड व भू नक्शा में भूमि की तरमीम मौके मुताबिक करवाते निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहते है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:26:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

(1) रोही मौजा ढ़ाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 35/35 के खसरा नं. 828/2 की 3.060 है0, 832/2 की 2.782 है0, 833 की 0.911 है0, 844 की 1.328 है0, 836 की 0.050 है0, 837 की 1.138 है0, 834 की 4.212 है0 कुल 13.481 है0 भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार काबिज है।

(2) रोही मौजा ढ़ाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 113/101 के खसरा नं. 840 की 4.1230 है0, 844 की 0.442 है0, 844/1500 की 2.125 है0, 837 की 6.791 है0 कुल 13.481 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार काबिज है।

(3) रोही मौजा ढ़ाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 116/105 के खसरा नं. 578 की 1.050 है0, 683/1 की 3.054 है0, 871 की 3.111 है0, 834/3 की 2.175 है0, 836/1 की 1.872 है0, 837/5 की 1.138 है0 कुल 12.400 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 8 काबिज है

(4) रोही मौजा ढ़ाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 60/54 के खसरा नं. 683/2 की 4.1040 है0, 828/3 की 3.060 है0, 837/4 की 5.236 है0 कुल तादादी 12.400 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 काबिज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदारी कृषि भूमि पर मौके कब्जा काश्त में इसी अनुसार काश्त कर रहे है लेकिन वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि राजस्व रिकार्ड व भू नक्शा में तरमीम सही नहीं इसलिए वादी अपनी मौके पर कब्जानुसार राजस्व रिकार्ड में व भू नक्शा की तरमीम खसरा सही दुरूस्त करवाना चाहता है राजस्व रिकार्ड में भूमि खसरा सही नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी हकूक का हनन होता है जिसमें वादीगण अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवा कर जमाबंदी व भू नक्शा खसरा दुरूस्त करवाना चाहते है इसलिए वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में भू नक्शा की तरमीम दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है। यहीं विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे राजस्व रिकार्ड में भू नक्शा की तरमीम सही करवा ले तो प्रतिवादीगण पहले तो कुछ दिन तो आजकल–आजकल करते रहे किंतु अंत में इन्कार हो गये इसिलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, नजरी नक्शा पेश किया जो की शामिल मिसल किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:26:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादीगण [illegible] नकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ [illegible] जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद में खसरा नं. 844 का रकबा खसरा न 837 को चला गया तथा खसरा नं. 837 का मूल रकबा खसरा नं. 840 को चला गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण की उपरोक्त भूमि जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में जिस अनुसार से दर्ज है जिसका खसरा व भू नक्शा की तरमीम सही नही होने के कारण से वादीगण को भारी परेशानी हो रही है। वादी व प्रतिवादीगण का समझौता हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक समझौता ही खातेदारी कृषि भूमि पर मौके कब्जा काश्त में इसी अनुसार काश्त कर रहे है लेकिन वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि राजस्व रिकार्ड व भू नक्शा में तरमीम सही नहीं इसलिए वादी अपनी मौके पर कब्जानुसार राजस्व रिकार्ड में व भू नक्शा की तरमीम खसरा सही दुरूस्त करवाना चाहता है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 35/33 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 13.4810 है0 भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादीगण 1 ता 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज है तथा खाता संख्या 113/101 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 13.4810 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 प्रत्येक का 1076/13481 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 प्रत्येक का 9177/26962 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 2152/13481 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 116/105 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 12.4000 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 60/54 के कुल खसरे 3 की 12.4000 है0 भूमि प्रतिवाद संख्या 9 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद में खसरा नं. 844 का रकबा खसरा न 837 को चला गया तथा खसरा नं. 837 का मूल रकबा खसरा नं. 840 को चला गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण की उपरोक्त भूमि जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में जिस अनुसार से दर्ज है जिसका खसरा व भू नक्शा की तरमीम सही नही होने के कारण से वादीगण को भारी परेशानी हो रही है। वादी व प्रतिवादीगण का समझौता हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक समझौता ही खातेदारी कृषि भूमि पर मौके कब्जा काश्त में इसी अनुसार काश्त कर रहे है लेकिन वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि राजस्व रिकार्ड व भू नक्शा में तरमीम सही नहीं इसलिए वादी अपनी मौके पर कब्जानुसार राजस्व रिकार्ड में व भू नक्शा की तरमीम खसरा सही दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कोई एतराज नही है। अतः [illegible] वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:26:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढ़ाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 35/35 के खसरा नं. 828/2 की 3.060 है0, 832/2 की 2.782 है0, 833 की 0.911 है0, 844 की 1.328 है0, 836 की 0.050 है0, 837 की 1.138 है0, 834 की 4.212 है0 कुल 13.481 है0 भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 एवं खाता संख्या 113/101 के खसरा नं. 840 की 4.1230 है0, 844 की 0.442 है0, 844/1500 की 2.125 है0, 837 की 6.791 है0 कुल 13.481 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 एवं खाता संख्या 116/105 के खसरा नं. 578 की 1.050 है0, 683/1 की 3.054 है0, 871 की 3.111 है0, 834/3 की 2.175 है0, 836/1 की 1.872 है0, 837/5 की 1.138 है0 कुल 12.400 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 के एवं खाता संख्या 60/54 के खसरा नं. 683/2 की 4.1040 है0, 828/3 की 3.060 है0, 837/4 की 5.236 है0 कुल तादादी 12.400 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मुताबिक हाल नजरिया नक्शा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे व पूर्व खसरा नं. 844 का रकबा 837 के दर्ज हो गया व 837 का रकबा 840 को दर्ज हुआ है जिसे दुरूस्त करते हुए उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन हो तो रहन को पक्षकारान के हिस्से पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:26:39 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 784/2024

अनवान : –

1. इमीलाल पुत्र दलुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर ।
2. भंवरलाल पुत्र दलुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. केसराराम पुत्र दलुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर ।
2. हंसराज पुत्र दलुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
3. अशोक कुमार पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. कालूराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. जगदीश पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
6. धर्मपाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
7. सुमन देवी पत्नी राजुराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर
8. सुलतान पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
9. बुधराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 784 सन 2024 निर्णय दिनांक 20/8/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढ़ाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 35/35 के खसरा नं. 828/2 की 3.060 है0, 832/2 की 2.782 है0, 833 की 0.911 है0, 844 की 1.328 है0, 836 की 0.050 है0, 837 की 1.138 है0, 834 की 4.212 है0 कुल 13.481 है0 भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 एवं खाता संख्या 113/101 के खसरा नं. 840 की 4.1230 है0, 844 की 0.442 है0, 844/1500 की 2.125 है0, 837 की 6.791 है0 कुल 13.481 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 एवं खाता संख्या 116/105 के खसरा नं. 578 की 1.050 है0, 683/1 की 3.054 है0, 871 की 3.111 है0, 834/3 की 2.175 है0, 836/1 की 1.872 है0, 837/5 की 1.138 है0 कुल 12.400 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 के एवं खाता संख्या 60/54 के खसरा नं. 683/2 की 4.1040 है0, 828/3 की 3.060 है0, 837/4 की 5.236 है0 कुल तादादी 12.400 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मुताबिक हाल नजरिया नक्शा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे व पूर्व खसरा नं. 844 का रकबा 837 के दर्ज हो गया व 837 का रकबा 840 को दर्ज हुआ है जिसे दुरूस्त करते हुए उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन हो तो रहन को पक्षकारान के हिस्से पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/8/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:26:39 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर